हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

संख्याःवि0स0-विधायन-संकल्प/1-29/2013

प्रेषक :

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

प्रेषितः

मुख्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला-171002.
दिनांक, शिमला-171004, 15-12-2016

विषयः **गैर-सरकारी सदस्य कार्य संकल्प जो कि वीरवार, 22 दिसम्बर, 2016 को विचारार्थ लिए जाएंगे।**

महोदय,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 में निहित अध्यक्ष द्वारा जारी निदेशों के निदेश सं0-6 के अन्तर्गत मुझे आपको बुलेटिन भाग-2 संख्याः 409 की 20 प्रतियां आपकी सूचना एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

(सुन्दर सिंह वर्मा)
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

संलग्नः यथोपरिः दिनांक, शिमला-171004, 15-12-2016
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला- 171002.
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला- 171002.
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
5. प्रधान सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री, हि0प्र0 सरकार, शिमला-171002
6. सचिव, राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.
7 समस्त प्रशासनिक सचिव, हि0प्र0 सरकार, शिमला-171002.
8 ओ0एस0डी0 एवं सचिव, माननीय अध्यक्ष, विशेष निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-171004.
9 समस्त निजी सचिव, मन्त्री परिषद्/मुख्य संसदीय सचिव, हि0प्र0 , शिमला 171002. को उपरोक्त बुलेटिन भाग-2. सं0ः 409 की एक प्रति सहित।

सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

बुलेटिन भाग-2

(संसदीय एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित सामान्य सूचना)

वीरवार, 15 दिसम्बर, 2016/24 अग्रहायण,1938

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

तेरहवां सत्र

संख्याः 409

वीरवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016, को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प जिनकी शलाका (Ballot) दिनांक 15-12-2016 को हुई, का परिणाम :-

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1	श्री महेन्द्र सिंहः	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नोटबंदी को कड़ाई से लागू करके प्रदेश में भ्रष्टाचार व काले धन को रोकने हेतु ठोस पग उठाए जाएं ।"
2	श्री रविन्द्र सिंह :	" यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "खुदरो दरखतान-तहजमीन मालिकान-मलकियत सरकार" का मालिकाना हक प्रदेश के किसानों को दिया जाए। "
3	श्री महेश्वर सिंहः	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गो हेतु प्रभावित लोगों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर निर्मित मकान व लगाए गए फल पौधों इत्यादि का नियमानुसार मूल्याकंन किया जाए ।"

सचिव,
विधान सभा।

* * * *